

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 754-A बैठक दिनांक 19/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य |
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्टों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No 11320/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Matiyawali-1 River Sand Mine in an area of 14.710 ha. (55010 cum per year) (Khasra No. 66, 75), Village-Matyavali Khurd, Tehsil-Mihona, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टेन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 14.710 Ha.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

स्थल	Village – Matiyawali-1 & Tehsil – Mihona, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मटियावली – 1) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 55,010 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1218/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 21.68 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1218/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1218/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मटियावली जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 14.04.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्रमांक— 27 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 7.52 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.62 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 46624 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 46624 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.54 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	55,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 750 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road	1,25,000	10,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3	Plantation (9024 plants will be planted & Distribution during the first year).	6,76,800	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	50,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	50,000	10,000
8	Occupational health Survey 31 Labour @ 500 Rs. = 15,500Rs./twice per year @500 x 2 x 31	Nil	31,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 31 labor @1000 Rs.	31,000	90,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	15,42,800	3,54,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मटियावली में हेंडपम्प की व्यवस्था	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3004 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 6016 वृक्षों का वितरण किया जाये :—

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करांदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौंस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,504
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1,504
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	6,016

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौंस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 11310/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Badettar River Sand Mine in an area of 24.900 ha. (46924 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Baretar, Tehsil-Mihona, District-Bhind (MP)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 24.900 Ha.			
स्थल	Village – Badettar & Tehsil – Mihona, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बड़ेतर) दिनांक - 06.01.2024			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 46,924 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1099/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 28.09 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1099/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1099/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पर्यायच जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 14.04.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक— 16 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(यदि लागू हो तो)	आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
-------------------	---

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 13.35 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.3 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 41385 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 41385 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 21.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.93 लाख प्रति वर्ष।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,30,000	50,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 980 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main Road	1,48,000	30,000
3	Plantation (16,020 plants will be planted & Distribution during the first year).	12,01,500	2,80,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 27 Labour @ 500 Rs. = 13,500Rs./twice per year @500 x 2 x 27	Nil	27,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 27 labor @1000 Rs.	27,000	85,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
Total EMP Cost		21,16,500	5,93,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बड़ेतर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के छत की मरम्मत हेतु	50,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5340 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10680 का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करांदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2,670
2	गाँव के माता के मंदिर परिसर पर पेड़ लगाये जाने हेतु	आँवला, पीपल बरगद, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	2,670
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	10,680

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, पौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 10942/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bachharetha Sand Mine in an area of 3.00 ha. (32400 cum per year) (Khasra No. 883), Village-Bachhraull, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणीके अन्तर्गतद्वाराजारीपर्यावरणीय स्वीकृतिके लियेसंबंधितहै, जिसमेंआजदिनांक19.05.2024कोपरियोजनाप्रस्तावकM/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकारजीनिथ एनवायरनमेंटकन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज)उपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

1. परियोजना विवरण :—

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज
परियोजनाप्रस्तावककानाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 3.00Ha.
स्थल	Village – Bachharetha & Tehsil – Mehgaon, District – Bhind (M.P)
लीजस्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिजसाधनविभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।
लीजकानवीनीकरण (यदि होतो)	नयाप्रोजेक्ट ।
पूर्वस्वीकृतमार्झनिंगप्लानकावर्ष एवंतत्समय मेंउत्पादितस्वीकृत क्षमता एवंमात्रा ।	नहीं
संशोधितमार्झनिंगप्लानकावर्ष, स्वीकृत क्षमता	नहीं

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

एवंवर्तमानमेंउत्पादितमात्रा ।				
स्वीकृतमाईनिंगप्लान / डीएसआरअनुसारकोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंगप्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारब्लास्टिंग / रॉकब्रेकरकाउल्लेख करें ।	रेत की खदानहै सिन्धनदी परहै			
प्रकरण की स्थिति	नयाप्रोजेक्ट			
पर्यावरणसलाहकार या उनके अधिकृतप्रतिनिधि द्वारास्थलनिरीक्षण	स्थलकानाम - प्रोजेक्टसाइट(बछरेठा)दिनांक - 07.01.2024			
डियाई.सी. काविवरण (यदि लागू हो) टॉर यदिलागूहोतोविवरणदें ।	न्हीं स्टैन्डर्ड टॉर			
उत्पादन क्षमताएवंप्रतिवर्षउत्पादन	परियोजनाप्रस्तावक द्वारारेत 32,400 घनमीटर / वर्षहेतुआवेदनकियागया			
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाभिंडके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1194 / खनिज / 2023भिंडदिनांक26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानेंसंचालित / स्वीकृतहै, इसप्रकारकुलरकबा20,650हे. होताहै, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।			
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाभिंड के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक 1194 / खनिज / 2023 भिंडदिनांक 26.07.202310 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थितनहींहै एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै ।(यदि 250 मीटरमेंवन क्षेत्र मेंस्थितहैतोदीगई शर्तोंकाउल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाभिंड के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक 1194 / खनिज / 2023 भिंडदिनांक 26.07.2023500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षासंस्थान एवंजलीय निकाय / नदी / तालाब /			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	बांध / स्टॉपडैम / नहर / ग्रामीणकच्चा / पक्कारास्ता / नाल अनहीं है ।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायतखेरियासिंध ठहरावप्रस्तावक्रमांकदिनांक 08.06.2022 अनुसारप्रस्तावितस्थलपर खनन् कार्यसेपंचायतकोकोईआपत्तिनहीं है । जिलाभिंडके
नदी का नाम	सिन्धनदी परहै
सियामेंझीहेतुप्रकरणप्रस्तुतकरनेकादिनांक	नयाप्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेस्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदानकाविवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.-18के सरलक्रमांक-02परदर्जहै ।
जनसुनवाईके प्रमुख बिन्दु (यदि लागूहोतो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 04.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों / सुझावप्राप्त हुए, जिसेपर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आरमेंबजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 3.0 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.8 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 32400 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत - 32400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.33 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,40,000	50,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 740 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,24,000	10,000
3	Plantation (4000 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,70,000	1,80,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 19 Labour @ 500 Rs. = 9,500Rs./twice per year @500 x 2 x 19	Nil	19,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 19 labor @1000 Rs.	19,000	50,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	11,63,000	4,33,500

3. CSR Table

सी.स.आरमद मेनिम्नानुसारराशि रु. 2,00,000 तथा सी.स.आर. में प्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्षमेंपूर्णकियेजाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माहमेंराशिजमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बछरेठा के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	ग्राम बछरेठा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधितक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षोंका वृक्षारोपण :—

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे 1 से 5 पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, धास, करोंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बास, वेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ	600
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेल गाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	600
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम 1 मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजा एगी	2,400

✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-
 रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पगृप
 केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा। (SHG)
 ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेडकोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
 ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेस्ट्रेग्रेड (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
 ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव,
 मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना
 /आंगनवाडीकेद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा।
 परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेनदीक्षेत्रसेलग्रामीणोंकोफलदार,
 बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासके
 गी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 11308/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Badera Sand Mine in an area of 4.00 ha. (52200 cum per year) (Khasra No. 542), Village-Badera, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.00 Ha.			
स्थल	Village – Badera & Tehsil – Mehgaon, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बडेरा) दिनांक - 08.01.2024			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टाँर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 52,320 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1198/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 36.360 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1198/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1198/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बडेरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 07.04.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक- 17 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन हेतु 4.0 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र एवं अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 52200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.16 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,60,000	45,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1140 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,14,000	50,000
3	Plantation (4800 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,60,000	1,80,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000Rs./twice per year @500 x 2 x 30	Nil	30,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	90,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
Total EMP Cost		12,74,000	5,16,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बड़ेरा के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम बड़ेरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	800
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	3,200

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय बन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No 11311/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Kheriyasindh River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (46560 cum per year) (Khasra No. 1331), Village-Kheriya Sindh, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.00 Ha.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

स्थल	Village – Kheriyasindh & Tehsil – Mehgaon, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (खेरियासिंध) दिनांक - 07.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 46,560 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1196/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 25.102 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1196/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1196/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खेरियासिंध जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक— 25 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 3.13 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.94 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 46560 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 46560 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.98 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,40,000	30,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 390 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	89,000	10,000
3	Plantation (3756 plants will be planted & Distribution during the	2,81,700	50,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	first year).		
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 27 Labour @ 500 Rs. = 13,500Rs./twice per year @500 x 2 x 27	Nil	27,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 27 labor @1000 Rs.	27,000	60,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
Total EMP Cost		10,47,700	2,98,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 90000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम खेरियासिंध के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम खेरियासिंध के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	40,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1252 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	626
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	626
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊँचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	2504

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
 ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 6. Case No 11318/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Padhora-1 River Sand Mine in an area of 5.00 ha. (45900 cum per year) (Khasra No. 22), Village-Padhora, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)**

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 5.00 Ha.			
स्थल	Village – Padhora & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पढ़ौरा) दिनांक - 08.01.2024			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 45,900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1097/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1097/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1097/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पढ़ोरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 07.05.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक- 41 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 16.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 4.16 हेक्टेरर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.53 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 45900 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 45900 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.56 लाख प्रति वर्ष।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,00,000	45,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 660 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breaker Till Main Road	1,16,000	10,000
3	Plantation (4992plants will be planted & Distribution during the first year).	3,74,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 26 Labour @ 500 Rs. = 46,000Rs./twice per year @500 x 2 x 26	Nil	26,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 26 labor @1000 Rs.	26,000	4,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	12,26,400	2,56,500

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम पड़ौरा के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम पड़ौरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अध्योसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1664 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी टट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, धास, करौदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	832
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	832
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,328

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
 ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह खेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी खेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No 10957/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mangarh River Sand Mine in an area of 9.46 ha. (56760 cum per year) (Khasra No. 1043, 1103), Village-Mangarh, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. ‘A’, II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 9.460 Ha.
स्थल	Village – Mangarh & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिंध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मानगढ.) दिनांक - 09.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 56,760 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1248 / खनिज / 2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 29.417 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1248 / खनिज / 2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1248 / खनिज / 2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मानगढ जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक— 54 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 02.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 5.67 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 56760 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 56760 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.59 लाख प्रति वर्ष ।

2- EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,30,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	40,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1145 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,14,500	15,000
3	Plantation (9492 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,11,900	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	50,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 32 Labour @ 500 Rs. = 16,000Rs./twice per year @500 x 2 x 32	Nil	32,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 32 labor @1000 Rs.	32,000	60,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	50,000	10,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	18,000
12	Signage and Caution Board	25,000	2,000
	Total EMP Cost	15,13,400	4,59,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 30,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मानगढ़ के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	20,000
2	ग्राम मानगढ़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3164 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, धास, करौदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौंस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,582
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1,582
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊँचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	6,328
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, वीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य 			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. **Case No 10959/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Dahema-1 Sand Mine in an area of 24.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dehema, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 24.00 Ha.
स्थल	Village – Dahema & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान /डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (दहेमा -1) दिनांक - 09.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1115/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 63.900 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1115/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1115/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान,			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवंजा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 12.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक— 55 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया । खनन हेतु 8.97 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 44850 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 44850 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.75 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.03 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,80,000	55,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 430 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	93,000	10,000
3	Plantation (10,764 plants will be planted & Distribution during the first year).	8,07,300	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,00	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	80,000	21,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	20,000
12	Signage and Caution Board	25,000	2,000
Total EMP Cost		17,75,300	3,03,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 80,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम दहेमा के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	ग्राम दहेमा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	40,000

4.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3588 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौंस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,794
2	गांव के पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	1,794
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी।	7,176

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संध्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 11307/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Musawali River Sand Mine in an area of 7.00 ha. (105000 cum per year) (Khasra No. 1212/5), Village-Musavali, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 7.0 Ha.			
स्थल	Village – Musawali & Tehsil – Mehgaon, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मुसावली) दिनांक - 06.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,05,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1186/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं,			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1186/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1186/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुसावली जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.09.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक- 33 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः गूगल ईमेज मार्च 2023 के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया । खनन हेतु 3.16 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 2.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 79000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम्

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

उत्पादन क्षमता रेत – 79000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल मार्झिनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर मार्झिनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.93 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,50,000	35,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 350 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	85,000	10,000
3	Plantation (3792 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,84,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 57 Labour @ 500 Rs. = 28,500Rs./twice per year @500 x 2 x 57	Nil	57,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 57 labor @1000 Rs.	57,000	20,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
Total EMP Cost		10,86,400	2,93,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मुसवाली के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम मुसवाली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1264 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	632
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	632
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	2528

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10956/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

**Dahema-3 Sand Mine in an area of 24.73 ha. (74190 cum per year) (Khasra No. 181),
Village-Dehema, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	शासकीय 24.73 Ha.			
स्थल	Village – Dahema & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (दहमा -3) दिनांक - 09.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 74,190 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1244 / खनिज / 2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 63.900 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1244 / खनिज / 2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1244 / खनिज / 2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अडडा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवंजा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 12.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-31 के सरल क्रमांक— 53 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया । खनन हेतु 13.36 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 66800 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 66800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 21.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,00,000	45,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1334 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,83,400	10,000
3	Plantation (16032 plants will be planted & Distribution during the first year).	12,02,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 41 Labour @ 500 Rs. = 20,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 41	Nil	41,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 41 labor @1000 Rs.	41,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	80,000	21,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	20,000
12	Signage and Caution Board	25,000	2,000
	Total EMP Cost	21,81,800	3,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम दहेमा के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	ग्राम दहेमा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000

4.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5344 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2,672
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	2,672
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	10,688

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 11313/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Remja Sand Mine in an area of 14.248 ha. (78939 cum per year) (Khasra No. 197/2, 200, 285 (Naveen 205, 739)), Village-Rewaja, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 14.248 Ha.
स्थल	Village – Remja & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान /डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (रेवंजा) दिनांक - 09.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 28.496 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1244/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवंजा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 14.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-31 के सरल क्रमांक— 53 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 8.54 हेक्टेरर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.9 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 76939 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 76939 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.99 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	55,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 790 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,00,000	10,000
3	Plantation (11,736 plants will be planted & Distribution during the first year).	8,80,200	50,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 43 Labour @ 500 Rs. = 21,500Rs./twice per year @500 x 2 x 43	Nil	43,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 43 labor @1000 Rs.	43,000	1, 20,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
Total EMP Cost		18,33,200	3,99,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम रेमजा के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम रेमजा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

4.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3912 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौंस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,956
2	गांव के पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1,956
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊँचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	7,824

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौंस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No 10953/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mahayar-1 Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (75000 cum per year) (Khasra No. 01, 02), Village-Mahayar, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 5.00 Ha.			
स्थल	Village – Mahayar1 & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (महायर) दिनांक - 09.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	प्रकार कुल रकबा 33 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवंजा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-31 के सरल क्रमांक- 51 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 02.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 3.0 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 2.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 75000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम्

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

उत्पादन क्षमता रेत – 75000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.93 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	Capital
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,50,000	30,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 252 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	75,200	8,000
3	Plantation (3600 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,70,000	1,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 79 Labour @ 500 Rs. = 39,500Rs./twice per year @500 x 2 x 79	Nil	79,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 79 labor @1000 Rs.	79,000	50,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	50,000	9,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
13	Signage and Caution Board	25,000	2,800
	Total EMP Cost	10,99,200	3,93,800

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम महायर - 1 के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	30,000
2	ग्राम महायर - 1 के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

4.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करांदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	600
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊँचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	2,400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10958/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Niwsai Ridiya-3 Quarry in an area of 2.00 ha. (18480 cum per year) (Khasra No. 410), Village-Niwsai, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 2.00Ha.			
स्थल	Village – Niwsai Ridiya 3 & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (निवसाई रिडिया 3) दिनांक - 09.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो	स्टैन्डर्ड टोर			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

विवरण दें।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 18480 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1095/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 29.417 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1095/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1095/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत निवसाई जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 12.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक- 46 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 02.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 1.56 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.54 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 18480 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 18480 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि समत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.14 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,20,000	25,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	35,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 2234 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	2,23,400	20,000
3	Plantation (1800 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,35,000	30,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	20,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 20 Labour @ 500 Rs. = 10,000Rs./twice per year @500 x 2 x 20	Nil	20,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 20 labor @1000 Rs.	20,000	35,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	30,000	6,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	10,000
12	Signage and Caution Board	15,000	1,000
Total EMP Cost		9,39,400	2,14,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 10,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्रमांक नं.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम निवासाई रिडिया - 3के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	9,000
2	ग्राम निवासाई रिडिया - 3के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,000

4.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	300
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय मे पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1,200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

14. Case No 11302/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mahaya-2 Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (42960 cum per year) (Khasra No. 02), Village-Mahayar, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.00 Ha.			
स्थल	Village – Mahayar-2 & Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

नदी का नाम	सिंध नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (महायर) दिनांक - 10.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 42,960 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1443/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 9.0 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1443/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1443/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवंजा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक— 40 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 16.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 4.0 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.79 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 42960 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 42960 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कोपीटल राशि रु. 12.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.41 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,00,000	55,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	45,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 770 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,27,000	10,000
3	Plantation (4800 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,60,000	1,80,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 45 Labour @ 500 Rs. = 22,500Rs./twice per year @500 x 2 x 45	Nil	45,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 45 labor @1000 Rs.	45,000	1, 30,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	12,42,000	5,41,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम महायर 2-के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	30,000
2	ग्राम महायर 2-के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	800
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No 10952/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Menhda Sand Mine in an area of 10.00 ha. (62000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Mehda, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणीके अन्तर्गतद्वाराजारीपर्यावरणीय स्वीकृतिके लियेसंबंधितहै, जिसमेंआजदिनांक19.05.2024कोपरियोजनाप्रस्तावकM/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकारजीनिथ एनवायरनमेंटकन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज)उपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया।

1. परियोजनाविवरण :-

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज
परियोजनाप्रस्तावककानाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: ParyawasBhawan, Block No. ‘A’,II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 10.00Ha.
स्थल	Village – Menhda& Tehsil – Raun, District – Bhind (M.P)
लीजस्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिजसाधनविभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

लीजकानवीनीकरण (यदि होतो)	नयाप्रोजेक्ट ।						
पूर्वस्वीकृतमाईनिंगप्लानकावर्ष एवंतत्समय मेंउत्पादितस्वीकृत क्षमता एवंमात्रा ।	नहीं						
संशोधितमाईनिंगप्लानकावर्ष, स्वीकृत क्षमता एवंर्तमानमेंउत्पादितमात्रा ।	नहीं						
स्वीकृतमाईनिंगप्लान / डीएसआरअनुसारकोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंगप्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ				
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है						
प्रकरण की स्थिति	नयाप्रोजेक्ट						
पर्यावरणसलाहकार या उनके अधिकृतप्रतिनिधि द्वारास्थलनिरीक्षण	स्थलकानाम - प्रोजेक्टसाइट(मेहंदा)दिनांक - 09.01.2024						
डियाई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	नहीं						
टॉर यदिलागूहोतोविवरणदें ।	स्टैन्डर्ड टोर						
उत्पादन क्षमताएवंप्रतिवर्षउत्पादन	परियोजनाप्रस्तावक द्वारारेत 62,400घनमीटर / वर्षहेतुआवेदनकियागया						
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाभिंडके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1238 / खनिज / 2023भिंडदिनांक26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानेंसंचालित / स्वीकृतहै, इसप्रकारकुलरकबा19.752हे. होताहै, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी काहै।						
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाभिंडके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1238 / खनिज / 2023 भिंडदिनांक26.07.2023 अनुसार10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थितनहींहै एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै ।(यदि 250 मीटरमेंवन क्षेत्र मेंस्थितहैतोदीर्घ शर्तोंकाउल्लेख)						
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाभिंडके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1238 / खनिज / 2023 भिंडदिनांक26.07.2023 अनुसार500 मीटर की परिधि						

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	मेमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षासंस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नाल अनहींहै ।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायतमेहंदाजिलाभिंडके ठहरावप्रस्तावकमांकदिनांक08.06. 2023अनुसारप्रस्तावितस्थलपर खनन् कार्यसेपंचायतकोकोईआपत्तिनहींहै ।
सियामेईसीहेतुप्रकरणप्रस्तुतकरनेकादिनांक	नयाप्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकिइस खदानकाविवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.-32के सरलकमांक—56परदर्जहै ।
जनसुनवाईके प्रमुख बिन्दु (यदि लागूहोतो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक03.04.2024 कोसंपन्नहुई आपत्तियाँ/सुझावप्राप्तहुए, जिसेपर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आरमेंबजट के साथ शामिलकियागया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 6.07 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.04 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 62000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 62000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.73 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.28 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	Capital
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,50,000	30,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	42,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1255 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,25,500	6,000
3	Plantation (7284 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,46,300	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	42,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	85,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	42,000	9,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	25,000	2,500
	Total EMP Cost	13,73,800	3,28,500

3. CSR Table

सी.स.आरमद मेंनिम्नानुसारराशि रु. 1,00,000 तथासी.स.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्षमेंपूर्णकियेजाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माहमेंराशिजमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मेंहदा के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधितक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2428 वृक्षोंका वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	1,214

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नीबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातियाँ 1,214
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नीबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी 4,856
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेलफहेल्पग्रुप (SHG) केंद्राराखननअवधितकरायाजायेगा। ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा। ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेस्टैग्रेड (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंख-रखाव, <p>मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना/आंगनवाडीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।</p>		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 11309/2024 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bharaulikhurd Sand Mine in an area of 8.94 ha. (53640 cum per year) (Khasra No. 3349, 3355, 3402, 3403, 3405), Village-Bharoli Khurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
-----------------------	--

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 8.94 Ha.			
स्थल	Village – Bharaulikhurd & Tehsil – Mehgaon, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (भरौलीखुर्द) दिनांक - 07.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 53,640 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1105/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 53.81 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1105/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1105/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भरौलीखुर्द जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्रमांक— 30 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 8.94 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 53640 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 53640 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार खनिज अधिकारी यह प्रयास करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.06 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	2,00,000	40,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day	Nil	40,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	X 240 days		
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1600 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter & Speed Breakers till main road.	1,60,000	40,000
3	Plantation (10728 plants will be planted & Distribution during the first year).	8,04,600	1,90,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000Rs./twice per year @500 x 2 x 30	Nil	30,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	90,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	8,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
12	Signage and Caution Board	20,000	1,500
Total EMP Cost		17,04,600	5,06,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 35000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम भरौलीखुर्द के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	25,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	ग्राम भरोलीखुर्द के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000
---	---	--------

04.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3576 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,788
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1,788
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	7,152

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय बन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

17. Case No P2/192/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 22.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - Uchan, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 66000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 22.00 Ha.			
स्थल	Village – Uchan & Tehsil – Handiya District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (ऊँचान) दिनांक - 7.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 66,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13336 /खनिज/ 2023-24 हरदा दिनांक 29. 09.2015 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13336 /खनिज/ 2023-24 हरदा दिनांक 29.09. 2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13336 /खनिज/ 2023-24 हरदा दिनांक 29. 09.2015 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नयापुरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 8 पर दर्ज है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
---	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज मई 2021 के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया । खनन हेतु 5.1 हेक्टरेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 255000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 25500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 11.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 570 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	57,000	5,000
3	Plantation (6120 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,59,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	--
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	11,81,000	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम उचान के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

04.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,020

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	1,020
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	4,080
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No P2/186/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - AAJNAI, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 8.0 Ha.			
स्थल	Village – Ajnai & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (अजनाई) दिनांक - 20.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1191/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1191/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1191/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजना जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 11.09.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.8 हेक्टेर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 48000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 300 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	30,000	5,000
3	Plantation (7,632 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,72,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		12,77,400	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम अजनाई के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण	2,00,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

करवाया जाएगा

04.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2544 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1272
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1272
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5088

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

19. Case No P2/193/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6 Hectare, Khasra No.- 11 in Village - MALPONE, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 06.00 Ha.			
स्थल	Village – Malpone & Tehsil – Handiya District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मलपोन) दिनांक - 7.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अडडा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेसवा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.10.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 5 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 3.76 हेक्टेरर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 36000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल मार्झिनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर मार्झिनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 350 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	35,000	5,000
3	Plantation (4512 Plants will be planted & Distribution during the first year).	3,38,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	--
Labour Welfare			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil

Solid Waste Management

14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	10,48,400	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. एस. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मालपोन के सी.एस.आर.फण्ड के तहत स्कूल की बाउण्ड्रीवाल, हैंडपंप, नाली, रोड के लिए धनराशी दी जायेगी।	3,00,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1404 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करांदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	752

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	752
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	3,008
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No P2/185/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - GOYAT, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1. परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 8.0 Ha.			
स्थल	Village – Goyat & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोयत) दिनांक - 2.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1193/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1193/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1193/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नाँदरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 06.09.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 16 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 2.26 हेक्टेयर खदान क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 22600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 22600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
 2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
 3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
 5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
 9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।
2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 500 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	50,000	5,000
3	Plantation (2712 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,03,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil

Carbon Sequestrations

7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
---	--	----------	-----

Labour Welfare

8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil

Solid Waste Management

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	9,28,400	2,04,000

3. CSR Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गोयत के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 904 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	452
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	452
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	1808

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोथों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

21. Case No P2/194/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(सरकारी / निजी)	6.00 Ha.			
स्थल	Village – Golomalgujari B & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोलमालगुजरी बी) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1305/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.12..2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगरुल जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.09.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक— 4 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि स्वीकृत माइनिंग प्लान के कोआर्डिनेट के अनुसार एवं उपलब्ध गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का लगभग पूर्ण भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः वर्तमान मे रेत उपलब्धता का ऑकलन हेतु डोन फोटोग्राफ एवं जिओटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाय। समिति ADS जारी करने की अनुशंसा करती है।

अनुशंसा - गूगल ईमेज के अनुसार खदान का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति की ड्रोन विडियो ग्राफी एवं जियोटेग फोटो प्रस्तुत करें।

22. Case No P2/187/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - MANOHARPURA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 10.00 Ha.			
स्थल	Village – Manoharpura & Tehsil – Handiya District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ	
नदी का दाम	नर्मदा नदी पर है			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मनोहरपुरा) दिनांक - 7.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1189/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 24.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1189/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1189/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अडडा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजना जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.09.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.57 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत - 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 660 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	66,000	5,000
3	Plantation (5484 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,11,300	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil

Solid Waste Management

14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	11,52,300	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मनोहरपुरा में घाट निर्माण कार्य एवं घाट सौन्दर्यकरण तथा महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम हेतु ग्राम पंचायत को सहायता	3,00,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1828 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3650 वृक्षों का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	914
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	914
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3650
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23.Case No P2/188/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 20.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - HANDIYA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 20.00 Ha.			
स्थल	Village – Handiya & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (हण्डिया) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण	नहीं			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(यदि लागू हो)	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1315/खनिज/2023–24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1315/खनिज/2023–24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1315/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.12..2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हण्डिया जला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 मई 2024

कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 8.40 हेक्टेरर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 42000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल मार्झिनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष।

2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

ANNUAL EMP COST

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 770 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	77,000	5,000
3	Plantation (10080 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,56,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	15,08,000	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
-------------------	---	----------------------

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1	ग्राम हण्डिया के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,00,000
---	--	----------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3360 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3650 वृक्षों का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बांस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,680
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1,680
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	6,720

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केन्द्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No 11293/2024 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sirsona Sand Quarry Deposit in an area of 5.30 ha. (34980 cum per year) (Khasra No. 157, 158), Village-Sirsona, Tehsil-Karerera, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Balaram Mehra) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Balaram Mehra			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 5.30 Ha.			
स्थल	Village – Sirsona & Tehsil – Karera, District – Shivpuri (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग	मार्झिनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हॉ	हॉ		
नदी का नाम	बरुआ नाला पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट - सिरसोना दिनांक - 05.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 34,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिरसोना जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 14.04.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।			
सिया में ईसी हेतु प्रकरण	नया प्रोजेक्ट			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09 के सरल क्रमांक- 1 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी दी गई कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गूगल ईमेज मई 2022 के अनुसार खनन लीज क्षेत्र पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है और लीज क्षेत्र से 209 मीटर पूर्व दिश में ब्रिज है। अतः 500 मीटर का सेटबैक देने पर खनन क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में एवं विगत 03 वर्ष का उत्पादन की जानकारी एवं जियोटेग फोटो उपलब्ध कराये जाये। अनुशंसा— समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत करने हेतु ADS जारी करने की अनुशंसा करती है।

25. Case No P2/190/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - LACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 10.00 Ha.
स्थल	Village – Lachora & Tehsil – Timarni, District – Harda (M.P)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (लछोरा) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1319/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लछोरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 03.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 06 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.45 हेक्टेरर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 22250 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेंडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 22250 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	Capital
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 370 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	37,000	5,000
3	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
4	Plantation (5340 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,00,500	20,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		11,12,500	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 60000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम लछोरा के शासकीय स्कूल के विकास हेतु	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1780 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3560 वृक्षों का वितरण:-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	890
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल,	890

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	3,560
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संछ्या की पूर्ति की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No 11294/2024 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mahowadamron Sand Quarry Deposit in an area of 12.650 ha. (18026 cum per year) (Khasra No. 1488), Village-Mahoba Damron, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Balaram Mehra) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Balaram Mehra			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 12.650 Ha.			
स्थल	Village – Mahowadamron & Tehsil – Pichhore, District – Shivpuri (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	पारौच नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट – महोवा डामरौन दिनांक - 05.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 18,026. घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 857/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 857/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 857/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महोवा डामरौन जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10 के सरल क्रमांक- 09 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 2.71 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 6775 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 6775 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.54 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1430m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,43,000	2,000
3	Plantation (3252 plants will be planted & Distribution during the first year)	2,43,900	40,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 13 Labour @ 500 Rs. = 6,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 13	Nil	13,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 13 labor @1000 Rs.	13,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	7,94,900	3,54,000

3. CSR Table

सी.एस.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 10000 तथा सी.एस.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम महोबाडामरौन के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के हेतु	10,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3,252 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,252
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No P2/191/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - CHHIPANER, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailesh Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailesh Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 15.00 Ha.			
स्थल	Village – Chhipaner & Tehsil – Timarni, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (छिपानेर) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

		2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति		कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति		कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1235/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति		ग्राम पंचायत चिपनेर जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक		नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति		परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 01 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)		प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 11.17 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 180,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 180,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 890 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	89,000	5,000
3	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
4	Plantation (13404 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,05,300	20,000
5	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		17,69,300	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.50 लाख तथा सी.स.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम छिपानेर के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,50,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4460 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8930 वृक्षों का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2,230
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	2,230
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	8,930

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

28. Case No 11291/2024 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chhitipur Sand Quarry Deposit in an area of 5.10 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 181), Village-Chhitipur, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Balaram Mehra) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Balaram Mehra			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 5.10 Ha.			
स्थल	Village – Chhitipur & Tehsil – Karera, District – Shivpuri (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

नदी का नाम	बिलरउ नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट – छितीपुर दिनांक - 05.02.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छितीपुर जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09 के सरल क्रमांक- 02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.21 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत - 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.35 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 280m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	28,000	5,000
3	Plantation (5,052 plants will be planted & Distribution during the first year)	3,78,900	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 11 Labour @ 500 Rs. = 5,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 11	Nil	11,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 11 labor @ 1000 Rs.	11,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	8,12,900	3,35,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बघेलपुरा स्कूल का हैंडपंप की मरम्मत कराने हेतु।	50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5,052 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	5,052
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।			
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।			
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।			
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

29.Case No P2/195/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI-B, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 8.00 Ha.			
स्थल	Village – Golomalgujari A & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

स्थिति				
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोलमालगुजरी अ) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1307/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1307/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1307/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.12..2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।			
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगरुल जला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.09.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।			
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 3 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया । खनन हेतु 1.09 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 16350 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 16350 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल मार्झिनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 600 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	60,000	5,000
3	Plantation (1308 plants will be planted & Distribution during the first year).	98,100	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	25,000	Nil
6	Soil Conservation	50,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

13	Accidental Cause	25,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	5,83,100	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.5 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गोलमालगुजरी – अ के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 436 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 870 का वितरण:—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	218
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	218
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	870

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोथों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

30. Case No P2/189/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - PACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(सरकारी / निजी)	15.00 Ha.			
स्थल	Village – Pachora & Tehsil – Timarni, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पचौरा) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333/खनिज/2023–24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है ।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333/खनिज/2023–24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1333/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पचौरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 11.69 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 660 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	66,000	5,000
3	Plantation (14028 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,52,100	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	17,93,100	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 25000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम पचौरा के आंगनबाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	25,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3360 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 9350 का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2,330
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	2,330
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	9,350

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No. 11296/2024 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Kumharra Sand Quarry in an area of 5.50 ha. (16500 cum per year) (Khasra No. 194), Village-Kumharra, Tehsil- Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP) [450427]

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Purushottam Das Pateriya) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Purushottam Das Pateriya			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 5.50 Ha.			
स्थल	Village – Kumharra & Tehsil – Mungaoli, District – Ashoknagar (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	केथन नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट - कुम्हरा दिनांक - 05.02.2024			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टाँर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 16,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 593/खनिज/23 अशोकनगर दिनांक 14.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 593/खनिज/23 अशोकनगर दिनांक 14.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 593/खनिज/23 अशोकनगर दिनांक 14.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुकावली जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.12.2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 07 के सरल क्रमांक- 05 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 14.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है, परन्तु खनिज अधिकारी अशोक नगर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खनन क्षेत्र में पानी नहीं है। उनके द्वारा पत्र दिनांक 19/05/2024 द्वारा जानकारी दी गई दिनांक 18/04/2024 को निरीक्षण के समय खनन योग्य रेत उपलब्ध है। खनन क्षेत्र के कोर्डिनेट भी प्रस्तुत किये गये। अतः खनिज अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आवेदन अनुसार खनन हेतु 5.5 हेक्टेर खनन क्षेत्र एवं रेत की उत्पादन क्षमता 16500 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 16500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.36 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.73 लाख प्रति वर्ष।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 310 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	31,000	10,000
3	Plantation (1692 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,26,900	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 14 Labour @ 500 Rs. = 7000 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	14,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 14 labor @1000 Rs.	14,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		6,36,900	3,73,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्रमांक न.	सी.एस.आर .मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि)रु .में(
1	ग्राम कुम्हरा के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

17. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 564 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	282
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	282
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1,128

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32. Case No. 11321/2024 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bandrabhan-6 Sand Mine in an area of 10.555 ha. (189990 cum per year) (Khasra No. 207), Village-BandraBhan, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) [447295]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 10.555 Ha.
स्थल	Village – Bandrabhan & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
पूर्व स्वीकृत मार्झनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं
संशोधित मार्झनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं	नहीं

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

वर्तमान में उत्पादित मात्रा।				
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी कर नाम	तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन) दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,89,990 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 761/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 51.111 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 761/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 761/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पवारखेड़ाखुर्द जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.11.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10 के सरल क्रमांक— 50 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 16.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है । समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया । खनन हेतु 10.0 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.3 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 1,89,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 1,89,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि समत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.66 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 218m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	21,800	2,000
3	Plantation (12,000 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,00,000	30,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000	35,000	5,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	Rs.		
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	14,21,800	3,66,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बांद्राभान के शासकीय विद्यालय में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	ग्राम बांद्राभान के आँगनवाड़ी केंद्र में सहायता हेतु	1,00,000
3	ग्राम बांद्राभान के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाह के अनुसार	1,00,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8000 वृक्षों का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2	गांव के पंचायत भवन आँगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	8,000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No. 11300/2024 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Pawarkhedakhurd-4 Sand Mine in an area of 17.00 ha. (306000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Pawar Kheda Khurd, Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP) [447456]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 17.00 Ha.			
स्थल	Village – Pawarkhedakhurd - 4 & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत मार्झनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित मार्झनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत मार्झनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पवारखेड़ाखुर्द) दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,06,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अन्य खदानें	प्रमाण—पत्र क्रमांक 835 / खनिज / 2023–24 नर्मदापुरम दिनांक 03. 07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 40.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 835 / खनिज / 2023–24 नर्मदापुरम दिनांक 03. 07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 835 / खनिज / 2023–24 नर्मदापुरम दिनांक 03. 07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पवारखेड़ाखुर्द जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.11.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल क्रमांक— 85 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 17.0 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 3,06,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 3,06,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 21.31 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.94 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	Recurring
Capital			
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three	1,00,000	15,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	Times in day)		
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1019m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,01,900	10,000
3	Plantation (20,400 plants will be planted & Distribution during the first year).	15,30,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		21,31,900	3,94,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के शासकीय विद्यालय में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,00,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के आँगनवाड़ी केंद्र में सहायता हेतु	1,00,000
3	ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाह के अनुसार	2,00,000

04.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6800 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 13600 का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	3,400
2	गांव के पंचायत भवन आँगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	3,400
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	13,600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोथों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आँगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है

34. Case No. 11298/2024 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Behravan Sand Mine in an area of 4.00 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 141), Village-Bahrawan, Tehsil- Bankhedi, District-Hoshangabad (MP) [447200]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.00 Ha.
स्थल	Village – Behravan & Tehsil – Bankhedi, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	दुधी नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बेहरावन) दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 909 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 19.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 909 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 909 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परसवाड़ा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09 के सरल क्रमांक— 40 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 16.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण एवं उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर नदी के बहाव को बनाये रखने हेतु सेटबैक छोड़ने के बाद रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 2.71 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 2.8 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 67,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 67,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि समत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.58 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 452 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	45,200	5,000
3	Plantation (3,252 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,43,900	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. = 12,500 Rs./twice per year @500 x 2 x25	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000	25,000	5,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	Rs.		
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,58,200	3,49,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 80000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बहरावन के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	80,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1084 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2168 वृक्षों का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	542
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	542
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	2,168

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोथों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

35. Case No. 11299/2024 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Pawarkhedakhurd-3 Sand Mine in an area of 23.00 ha. (414000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Pawar Kheda Khurd, Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP) [447200]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal,

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh				
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 23.00 Ha.			
स्थल	Village – Pawarkhedakhurd - 3 & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पवारखेड़ाखुर्द) दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 4,14,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 833/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 69.655 है. होता है,			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 833/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 833/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पवारखेड़ाखुर्द जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.11.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक- 84 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण एवं उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 23.0 हेक्टेररयर खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 4,14,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 4,14,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 26.58 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.94 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 880 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	88,000	10,000
3	Plantation (27,600 plants will be planted & Distribution during the first year).	20,70,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		26,58,000	3,94,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के शासकीय विद्यालय मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,00,000
2	ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के आँगनवाड़ी केंद्र में सहायता हेतु	2,00,000
3	ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाह के अनुसार	1,00,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

04. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 9200 वृक्षों का वृक्षारोपण 18400 वृक्षों का वितरण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	4,600
2	गांव के पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	4,600
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	18,400
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।			
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।			
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।			
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

36. Case No 11233/2024 Shri Dammu Raikwar, Jr. Manager, OIC, MPSMCL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Simra Bahadur River Sand Quarry in an area of 4.75 ha. (66000 cum per year) (Khasra No. 127), Village-Simra Bahadur, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP) [435498] (B2)

ADS

प्रकरण आज दिनांक को सूचीबद्ध था, परन्तु परियोजना प्रस्तावक / कंसलेटेन्ट प्रस्तुतीकरण हेतु स्वयं या ऑन लाईन उपस्थित नहीं हुये। अतः आवेदक के आवेदन पर प्रकरण पुनःसूचीबद्ध किया जावेगा।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ० पी. सी. दुबे)
अध्यक्ष

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट मार्फिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 मई 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मलिंगंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेसिंग/ ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/ नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/ स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 मई 2024

	तीन वर्षों तक।	
4.	आवश्यकतानुसार सिचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निर्दाई-गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास अंतर्गत प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पांचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम् 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम् 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई चावदम ठतममकपदह अद्यमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।